10/02/2020 वादावली पेश। वकील उभय पक्ष अधि. तहसीलदार हाड़ोता के द्वारा नकल जमाबन्दी के सहित रिपोर्ट पेश की है कि उभय विवादित भूमि का नाना सरदार मूलतः प्रतिवादी के पारिवार के नाम से दर्ज है वादावली का अवलोकन किया। वादीगण ने प्रतिवादी गण 1 को कि वादीगण का दादा श्री के विरुद्ध भूमि के सम्बन्ध में दीवानी दावा दायर किये जाने के बाद पेश करने अनुरोध चाहा था प्रकरण प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिसान के नाम भूमि भी दर्ज हो चुकी है ऐसी स्थिति अब वादीगण को जिस पद प्रकार अनुरोध चाहा गया है वह प्रदान नहीं किया जा सकता अब वादीगण केवल अपने पिता की भूमि में से ही हक प्राप्त कर सकते है ऐसी स्थिति में यह वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है वादीगण कानूनी उत्तराधिकारी होकर नामांतरण करवा सकते है

आदेश आज दिनांक 10/02/2020 को पूर्व अधिवक्ता के लिए नियत किया जाता है

10/02/20

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Kumawat
Date: 2020.02.14 12:38:29 IST
Reason: SelfAttested